दिनांक 18.12.2020 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में सहायक निदेशक, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, उप सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी के साथ-साथ निदेशालय में कार्यरत कर्मी भी उपस्थित थे। उपस्थित कर्मियों की कम संख्या को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व निर्धारित सप्ताहिक समीक्षा बैठक में ससमय सभी कर्मी (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर) अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। अगली आयोजित होनेवाली समीक्षात्मक बैठक से उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी एवं अनुपस्थित कर्मियों से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

1. नव नियोजित संविदा कर्मियों से संबंधित

(क) बैठक में सर्वप्रथम दो विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जिनका स्थानान्तरण दिनांक 02.12.2020 को ही सीतामढ़ी एवं जहानाबाद जिला से निदेशालय में किया गया था के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उनमें से श्री सुजीत कुमार द्वारा योगदान संबंधी आवेदन दिनांक 14.12.2020 को समर्पित कर बगैर किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित है। दूसरे कर्मी वंदना कुमारी द्वारा अभी तक न ही निदेशालय में योगदान समर्पित किया गया है और न ही इससे संबंधित कोई सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के संबंध में निदेश दिया जाता है की दोनो कर्मियों द्वारा इस प्रकार की अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए सेवा समाप्ति संबंधी clause को जोड़ते हुए कारण पृच्छा करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया स्थानान्तरित कर्मियों का योगदान से संबंधित कार्रवाई की प्रविष्टि संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्य दर्ज किया जाय ताकि संबंधित डाटाबेस अद्यतन रहे।

(ग) संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को कर्मियों के डाटाबेस को Acess का permission दिये जाने के आलोक में निदेशित किया गया की सभी कर्मियों के पदस्थापन एवं अन्य अद्यतन विवरणी को संबंधित संचिका में भी संधारित करते हुए उपस्थापित किया जाय।

(घ) संविदा कर्मियों से संबंधित रोस्टर के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में कार्य किया जा रहा है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 22.12.2020 तक विशेष सर्वेक्षण अमीन को छोड़कर शेष तीनों पदों का रोस्टर तैयार कर उपस्थापित किया जाय।

(ङ) संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संविदा नियोजन से संबंधित एक औपचारिक आदेश निर्धारित तिथि तक जो योगदान किये है एवं तीन बार मौका दिये जाने जिसकी जानकारी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गयी थी के बावजूद जो अनुपस्थित हुए है उनकी उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी आदेश निर्गत से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(च) संविदा अमीनों का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। इस संबंध मे आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 10 दिनों का समय निर्धारित करने संबंधी आदेश निर्गत किया जाय। उक्त के पश्चात् संविदा अमीनों को योगदान कराने हेतु आवश्यक सारी तैयारियाँ पूर्ण करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।

(छ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जो जिलों में अतिरिक्त हों, उन्हें वैसे जिले जहाँ आवश्यकता हो अथवा त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो के संबंध में विवरणी एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ज) बहुत से नवनियुक्त कर्मियों का त्यागपत्र निदेशालय को प्राप्त हुए है। उसके संबंध में निदेश दिया गया कि त्यागपत्र समर्पित किये गए सभी कर्मियों का प्रस्ताव तुरंत ही अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपस्थापित किया जाय।

(झ) संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि नव नियोजित संविदा कर्मियों के फोल्डर भूमि पर रखे जाने के कारण खराब हो रहे हैं। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त फोल्डरों के स्कैनिंग एवं उचित रखरखाव हेतु आवश्यक सामग्री का आकलन करते हुए प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

2. <u>बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट</u>

(क) भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित प्रस्ताव को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है। उक्त के साथ भेजे जाने वाले Utilization Certificate के संबंध में पृच्छा करने पर बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल द्वारा बताया गया कि इसे 21.12.2020 तक निश्चित रूप से भेज दिया जाएगा। इसपर अधोहस्ताक्षरी उक्त में विलम्ब नहीं करने का निदेश दिया गया।

(ख) ऑडिट के संबंध में पूछने पर संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं लेखापाल, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट द्वारा जानकारी दी गयी कि बैंक में प्राप्त सारी राशि का अंकेक्षण हो गया है। चाहे राशि री–सर्वे या किसी मद का हो। जिले स्तर पर खर्च किये गए राशि को भी वित्त विभाग/CAG से Request करते हुए ऑडिट कराने संबंधी आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया। उक्त से भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्कीम के अनुसार मांगी जानेवाली जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

3. <u>प्रपत्र – 6</u>

उक्त के संबंध में पृच्छा करने पर आई0टी0 कोषांग के प्रभारी द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रपत्र–6 की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर से करने संबंधी संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त संचालन प्रक्रिया/यूजर मैनूअल के तकनीकी पहलूओं की जाँच करने के पश्चात् पायलट अंचलों में प्रपत्र–6 की प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ कराया जाय। निदेशालय के जिलों के नोडल पदाधिकारी को भी इस कार्य में सहयोग लेने का निदेश प्राप्त है। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश तकनीकी कोषांग को दिया गया।

4. <u>सर्वे खतियान की स्कैनिंग</u>

सर्वे खतियान के स्कैनिंग संबंधी 6 जिलों की बैठक की तैयारी के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया सारी तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि बाकि अन्य जिलों से भी औपचारिक रूप से पत्र देने हेतु कहा गया ताकि अन्य जिलों द्वारा भी स्कैनिंग संबंधी यदि कार्य काराया गया हो तो इसकी सूचना निदेशालय को हो सके।

5. आधुनिक अभिलेखागार

(क) मॉर्डन रिकॉर्ड रूम के टाईमलाईन से संबंधित पत्र के बारे में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त से संबंधित पत्र प्रेषित की जा चुकी है।

(ख) राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, गया एवं आधुनिक अभिलेखागार हेतु बजट प्रावधान के संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त से संबंधित क्या–क्या किस दर से अनुमोदित है, स्वकृत है, शेष है एवं आधुनिक अभिलेखागार के साथ कितना प्राक्कलन बढ़ेगा आदि की पूर्ण गणना करते हुए प्रस्ताव संचिका में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

6. ETS से संबंधित

ETS क्रय करने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सहायक को निदेश दिया गया कि Technical Advisory Group (TAG) की बैठक के आयोजन से संबंधित सारी तैयारी पूर्ण करते हुए तिथि निर्धारित हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय ताकि ETS संबंधित तकनीकी पहलूओं के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके।

7. बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से संबंधित

(क) प्रपत्र छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा जानकारी दी गयी कि इससे संबंधित मांगी गयी सारी सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गयी है। तकनीकी कोषांग के प्रभारी द्वारा कहा गया आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त से संबंधित प्रस्ताव दो दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ख) समस्तीपुर में लगभग एक साल से ट्रावर्स दल नियुक्त है। इसके बावजूद कार्य लम्बित है एवं इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है एवं वस्तुस्थिति से भी सभी को अनभिज्ञ रखा जा रहा है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को निदेशित किया गया कि ट्रावर्स दल के सदस्यों का वेतन स्थगित कर कारण पृच्छा करते हुए तत्काल प्रभाव से अविलम्ब वापस बुलाया जाय।

(ग) उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा जानकारी दी गयी कि उनके कार्यालय अवस्थित ड्राईग सेक्शन खाली है। उक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में संचालित बन्दोबस्त कार्यालय, पटना को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में Shift करने हेतु संबंधित को पत्र देने का निदेश दिया गया।

8. सूचना, शिक्षा एवं प्रसार (IEC) के लेवेल – 4 तक की योजना

IEC के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गए निदेश के अनुरूप संशोधित कर प्रस्ताव के रूप में उपलब्ध कराने का निदेश श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को दिया गया।

9. Capacity Building

Capacity Building संबंधी प्रस्ताव के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया इस संबंध में तैयारी की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सहायक को निदेश दिया गया कि तकनीकी एवं आई0टी0 कोषांग के साथ–साथ जिले के नोडल पदाधिकारियों से सहयोग लेते हुए प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाय।

10. MARBLE

MARBLE की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित सारी तैयारियाँ कर ली गयी है एवं जल्द ही इसकी छपाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

11. हेल्पलाईन

अधोहस्ताक्षरी द्वारा हेल्पलाईन के संबंध में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया कि वे इसकी सम्पूर्ण संचालन प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध करायें। उक्त हेल्पलाईन में एक–दो कम्प्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, कॉल रीसीव करने के पश्चात् एवं समाधान हेतु क्या करना है, किसको रेफर करना है, समाधान हो जाने पर संबंधित को कैसे सूचित करना है आदि का उल्लेख भी प्रस्ताव में किया जाय। उक्त कार्य में श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर से सहयोग लेने हेतु निदेशित किया गया।

12. नक्शा से संबंधित

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित कर्मी को निदेश दिया गया कि सभी अंचलों में मौजों के नक्शे दो प्रति में छाप कर कार्यालय में संधारित करने एवं मापी हेतु उक्त नक्शों का उपयोग करने संबंधी पत्र जिलें के सभी समाहर्त्ता को देने का निदेश दिया गया।

(ख) नक्शों के डोर स्टेप डिलेवरी के संबंध में पृच्छा करते हुए कहा गया कि इससे संबंधित चार बैठकें हो गयी है। डोर स्टेप डिलेवरी के दो पहलू है – (i) – सॉफ्टवेयर से संबंधित – इस संबंध में प्रभारी आई0टी0 कोषांग को सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रस्तुतीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष करने का निदेश दिया गया। (ii) कन्टेनर फाईनल करना – इस संबंध में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय को निदेश देते हुए कहा गया कि उक्त से संबंधित सारा कार्य आपके कार्यालय से ही होना है एवं सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। कन्टेनर को दो दिनों में Final करने का निदेश दिया गया।

13. डैशबोर्ड की अद्यतन स्थिति

(क) डैशबोर्ड के अद्यतन करने के संबंध में पृच्छा करने पर कहा गया कि इसे अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जानकारी दी गयी कि सर्वे/रीसर्वे संबंधित घटक को अंचलवार क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होने के कारण इस घटक के अद्यतन करने में असुविधा हो रही है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक निदेशक/संबंधित सहायक को निदेश दिया गया कि वे सांख्यिकी/नगर विकास आदि विभागों से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अन्य घटकों के अद्यतन करने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि जो उपलब्ध .shp File है, जिस स्थिति में है उसे अपलोड कर दिया जाय। जिलों द्वारा सर्वे/री–सर्वे के क्रम में LPM Generate होने के पूर्व Updated Map से डैशबोर्ड के संबंधित फिल्ड को Replace करा दिया जा सकेगा।

अन्य घटक जो रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित है के ओलोक में संबंधित आई0टी0 मैनेजर एवं अन्य पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि जमाबंदी भी एक तरह का Land Records है एवं इसे भी डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है। बिहार राज्य में Practical purpose हेतु Record of Right (RoR) की जगह जमाबंदी पंजी सबसे उपयुक्त है, जिसकी प्रविष्टि डैशबोर्ड पर करते हुए इसे अद्यतन किया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को कहा गया।

14. <u>स्थापना संबंधी कार्य :–</u>

(i) निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों से न्यायालय, सर्वे/री–सर्वे, सेवान्त लाभ, विभागीय कार्यवाही आदि की अद्यतन स्थिति/रिपोर्ट प्राप्त करने से संबंधित संचिका अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आधार पर संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकेगा जिसके माध्यम से संबंधित विवरणी निदेशालय को शीघ्र प्राप्त हो सकेगी।

(ii) ए0डी0एफ0 स्कैनर के क्रय एवं Office 365 या अन्य Open Source Software के संबंध के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि आई0टी0 कोषांग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण यह मामला लम्बित है।

(iii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा कम्प्यूटरों की सूची एवं उससे संबंधी विवरणी के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि प्रथम तल स्थित बन्द कमरे में विभाग के पास चाभी रहने के कारण संबंधित पुरानी भंडार पंजी/संचिका उपलब्धता में कठिनाई के कारण यह मामला लम्बित है। विभाग से चाभी प्राप्त कर उक्त लम्बित मामले को निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया।

(iv) पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में पुनः निदेशित किया गया कि CFMS में संधारित कर्मियों के डेटा का प्रिन्ट आउट निकाल कर कार्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की गयी कर्मियों के डाटा के मिलान के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि वित्त विभाग से निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित सारे कर्मियों का सत्यापन किये जाना है। उक्त हेतु CFMS अन्तर्गत कर्मियों के डाटा से मिलान किये जाने हेतु कर्मियों की विवरणी हेतु लिन्क उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग को पत्र देने का निदेश दिया गया।

(v) संबंधित सॉफ्टवेयर में डाटाबेस इन्ट्री हेतु Age relaxation 67 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव आई0टी0 कोषांग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vi) निदेशालय स्तर से सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुए निदेशालय अन्तर्गत सहायक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित पदस्थापन होने तक संविदा के आधार पर संविदा सहायक के नियोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vii) राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में संचालित लाईब्रेरी को सुचारू ढ़ंग से कार्यकारी बनाने के संबंध में पुस्तकालयाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में संचिका उपस्थापन का निदेश दिया गया।

(viii) ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की बैठक की तिथि निर्धारित करते हुए सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाय।

(ix) कबाड़ हटाने से संबंधित शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए महीनों से चले आ रहे इस मामले का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

15. **<u>विभागीय कार्यवाही</u>** – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	28	28	15	0	13
आरोप	00	51	51	15	0	36
सेवान्त लाभ	00	22	22	0	02	20

16. **<u>सूचना के अधिकार से संबंधित</u>** – पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित कुल 69 मामला लम्बित है जिसके निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

17. **<u>न्यायालय संबंधी कार्य</u>** :– सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0, एल0पी0ए0 आदि मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया।क्त से संबंधित निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी0डब्लू0जे0सी0	01	31	32	00	24	08
एम0जे0सी0	01	04	05	0	02	03
एल0पी0ए0	00	03	03	0	02	01
अन्य मामला	00	00	00	0	0	00

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पति मौजा बंसतपुर थाना न0 11/समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No 8304/2018	महेन्द्र प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	
5	CWJC	CWJC No --------/2019	उज्जवल कुमार सुमन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	Mutation of Land
6	CWJC	CWJC No 9410/2018	विजय दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	
7	CWJC	CWJC No ..../2020	श्री हरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नियोजन
8	CWJC	CWJC No 7780/2020	श्री विमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नियोजन

एम0जे0सी0 एवं एल0पी0ए0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

क्र0 सं0	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	MJC	MJC No. …./2019	मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता, पटना	भुगतान के संबंध में।
2	MJC	MJC No. …./2019	सब्बीर अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भुगतान के संबंध में।
3	MJC	MJC No. 4527/2019	रूकमणि कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	सेवानिवृत्ति लाभ
4	LPA	LPA No. ……./2019	मंजू सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी	Possession including the survey records

18. लेखा संबंधी कार्य :–

(क) अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण आपत्तियों के Compliance के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि कुछ आपत्तियों का प्रस्ताव अभी भी शेष है जिसका शीघ्र निष्पादन करते हुए Compliance सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।

(ग) स्थायी अग्रिम के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 43,000/– रूपये सामंजन हेतु शेष है।

19. आगत शाखा से संबंधित :–

आगत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर तक कुल 5704 पत्र निदेशालय को प्राप्त हुए थे। 01 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक कुल 407 पत्र प्राप्त किया गया जिसे डायरी कर संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

20. निर्गत शाखा से संबंधित :–

निर्गत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि माह–नवम्बर तक कुल 11350 पत्र निर्गत किये गए है। 01 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक कुल 286 पत्र निर्गत किया गया था जिसे संबंधित को ई–मेल/डाक/पत्रवाहक द्वारा संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

21. बजट से संबंधित

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बजट संबंधी मांग का समेकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित को निदेश दिया गया कि नवनियोजित संविदा कर्मियों के वेतन आदि मद में प्राप्त होने वाले आवंटन के आधार पर सारी तैयारी सुनिश्चित कर लें ताकि इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 189 /गो0 पटना, दिनांक 23-12-2020

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 189 /गो0 पटना, दिनांक 23-12-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक